

[2024] 7 एससीआर 1044:2024 आई.एन.एस.सी. 575

अजय कुमार भल्ला व अन्य

ब.

प्रकाश कुमार दिक्षित

(सिविल याचिका सं. 8129-8130/2024)

29 जुलाई 2024

[डॉ. धनंजय वाय चंद्रचूड़*, मु.न्या.भा.

न्या. जे.बी. पारदीवाला और न्या. मनोज मिश्रा]

विचारार्थ विवादक

प्रत्यर्थी ने उप महानिरीक्षक (गोपनीय आख्या व सतर्कता) के एक आदेश को चुनौती देने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसके तहत उन्हें सेवा से हटा दिया गया था। उच्च न्यायालय ने आक्षेपित आदेश को अपास्त कर दिया; उन पर एक मामूली जुर्माना लगाया; उन्हें बिना पिछले वेतन के बहाल कर दिया; वेतन निर्धारण, वरिष्ठता और पदोन्नति सहित अन्य सभी परिणामी लाभों के उद्देश्यों के लिए उनकी बहाली 1995 (जब बर्खास्तगी का मूल आदेश दिया गया था) की तारीख का निर्देश दिया; और आदेश को 8 सप्ताह के भीतर लागू करने का भी निर्देश दिया। जब उन्हें निर्धारित समय के भीतर बहाल नहीं किया गया और उनकी सेवानिवृत्ति के समय तक उन्हें महानिरीक्षक के योग्य पद पर पदोन्नति से वंचित कर दिया गया, तो प्रत्यर्थी ने उच्च न्यायालय में विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष अवमानना की कार्यवाही शुरू की। न्यायालय की राय थी कि खण्ड पीठ द्वारा जारी पहले के निर्देशों का पालन करने में अपीलार्थीगण की ओर से जानबूझकर अवज्ञा की गई थी। अपीलार्थीगण ने उच्च न्यायालय की एक खण्ड पीठ के समक्ष अपील की। इसे न्यायालय की अवमानना अधिनियम की धारा 19 के तहत पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज कर दिया गया था।

माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष मुद्दा यह तय करने का था कि उच्च न्यायालय के माननीय एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ लेटर पेटेंट अपील कब होगी यदि ऐसी अपील न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 19 के तहत पोषणीय नहीं है।

शीर्ष टिप्पण

न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971-धारा 19-मिदनापुर पीपुल्स कॉप. बैंक लिमिटेड व अन्य बनाम चुनिलाल नंदा व अन्य [2006] पूरक. 2 एससीआर 986 - अवमानना कार्यवाही में आदेशों के खिलाफ अपील करने की स्थिति-दोहराया:

अभिनिर्धारित किया गया: मिदनापुर पीपुल्स कॉप बैंक लिमिटेड के मामले के निर्णय का अनु. 11 इसके खिलाफ अपील के संबंध में सिद्धांतों का सारांश देता है।

अवमानना कार्यवाही में आदेश, निम्नानुसार:-

- I. धारा 19 के तहत एक अपील केवल अवमानना के लिए दंडित करने के लिए अपनी अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए पारित उच्च न्यायालय के आदेश या निर्णय के खिलाफ पोषणीय है अर्थात् अवमानना के लिए सजा देने वाला आदेश।
- II. सी.सी. अधिनियम की धारा 19 के तहत न तो अवमानना के लिए कार्यवाही शुरू करने से इनकार करने वाला आदेश, न ही अवमानना के लिए कार्यवाही शुरू करने का आदेश और न ही अवमानना के लिए कार्यवाही को हटाने का आदेश और न ही अवमानकर्ता को बरी करने या दोषमुक्त करने का आदेश अपील योग्य है। विशेष परिस्थितियों में वे संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत चुनौती देने के लिए तैयार हो सकते हैं।

- III. अवमानना की कार्यवाही में, उच्च न्यायालय यह तय कर सकता है कि क्या न्यायालय की अवमान की गई है, और यदि ऐसा है, तो सजा क्या होनी चाहिए और उससे संबंधित मामले क्या होने चाहिए। ऐसी कार्यवाही में, पक्षों के बीच विवाद के गुणागुण से संबंधित किसी भी मुद्दे पर न्यायनिर्णयन या निर्णय लेना उचित नहीं है।
- IV. उच्च न्यायालय द्वारा पक्षकारों के बीच विवाद के गुणागुण पर जारी किया गया कोई भी निर्देश या निर्णय, “अवमानना के लिए दंडित करने के क्षेत्राधिकार” का प्रयोग नहीं किया जाएगा और इसलिए, सीसी अधिनियम की धारा 19 के तहत अपील योग्य नहीं होगा। एकमात्र अपवाद यह है कि जहां ऐसा निर्देश या निर्णय अवमानना के लिए दंडित करने वाले आदेश के साथ आकस्मिक या अटूट रूप से जुड़ा हुआ है, ऐसी स्थिति में अधिनियम की धारा 19 के तहत अपील, आनुषंगिक या अटूट रूप से जुड़े निर्देशों को भी शामिल कर सकती है।
- V. यदि उच्च न्यायालय, किसी भी कारण से, अवमानना की कार्यवाही में पक्षों के बीच विवाद के गुणागुण से संबंधित किसी मुद्दे पर निर्णय लेता है या कोई निर्देश देता है, तो पीड़ित व्यक्ति के पास कोई उपाय नहीं है। इस तरह के आदेश को न्यायालय के भीतर की अपील में चुनौती दी जा सकती है (यदि आदेश एक विद्वान एकल न्यायाधीश का था और एक अंतर-न्यायालय अपील के लिए प्रावधान है), या भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अपील करने के लिए विशेष अनुमति की मांग करके (अन्य मामलों में) [अनु. 13]

लेटर पेटेंट अपील- चाहे वह अधिनियम के तथ्यों में निहित हो।
मिदनापुर पीपुल्स कॉप. बैंक लिमिटेड व अन्य बनाम चुनिलाल नंदा
और अन्य [2006] पूरक. 2 एससीआर 986 में निर्धारित सिद्धांत
लागू किया गया:

अभिनिर्धारित किया गया: माननीय एकल न्यायाधीश ने अपने आदेश
में अभिनिर्धारित किया कि-(1) अपीलार्थी आदेश की अवमानना के
दोषी थे; (2) प्रत्यर्थी महानिरीक्षक के पद पर पदोन्नति के हकदार थे;
और (3) अपीलार्थीगण को एक नया आदेश जारी करने का अवसर
दिया ताकि याचिकाकर्ता को महानिरीक्षक के पद पर पदोन्नति प्रदान
की जा सके ताकि उसे अपने तत्काल कनिष्ठ के बराबर लाया जा
सके-प्रत्यर्थीगण के अधिकार और अपीलार्थीगण के अपराध के बारे में
एक स्पष्ट निष्कर्ष है- अपीलार्थीगण के अपराध पर निष्कर्ष को इस
स्तर पर अवमानना अधिनियम के धारा 19 के तहत चुनौती नहीं दी
जा सकती है क्योंकि सजा देने वाला कोई आदेश नहीं है। पदोन्नति
की पात्रता के संबंध में निष्कर्ष मिदनापुर पीपुल्स कॉप बैंक लिमिटेड
और अन्य के अनु 11(फ) में निर्धारित सिद्धांत के अनुसार चुनौती के
लिए उत्तरदायी है। निर्णय-लेटर पेटेंट अपील बहाल की गई।[अनु.
15,17,18]

उद्धृत निर्णयज विधि

मिदनापुर पीपुल्स कॉप. बैंक लिमिटेड व अन्य बनाम चुनिलाल नंदा व
अन्य [2006] पूरक. 2 एससीआर 986: (2006) 5 एससीसी 399-
पर निर्भर किया

अधिनियम की सूची

न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971।

प्रमुख शब्दों की सूची

अवमानना; लेटर पेटेंट अपील; बहाली; अवमानना अधिनियम की खंड 19।

मामला उद्भूत होता है

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील सं. 8129-8130/2024

नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के ले.पे.अ. सं. 157/2024 और अव.मा. सं. 198/2020 क्रमशः में निर्णय और आदेश दिनांक 10.05.2024 और 02-06-2023 से

पक्षकारगण हेतु उपस्थितियाँ

तुषार मेहता, महा सॉलिसिटर, विक्रमजीत बनर्जी, अति.महा.सा., सिद्धार्थ सिन्हा, सुश्री संसृति पाठक, आस्था सिंह, ईशान शर्मा, अरविंद कुमार शर्मा, अपीलार्थीगण हेतु अधिवक्ता।

संजय घोष, वरिष्ठ अधिवक्ता, आनंद शंकर झा, रोहन मंडल, अभिलेख तिवारी, प्रत्यर्थी हेतु अधिवक्ता।

उच्चतम न्यायालय का निर्णय/आदेश

निर्णय

डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, भा.मु.न्या.

1. देरी को माफ किया जाता है।
2. अनुमति प्रदानित की जाती है।
3. याचिकाकर्ता के खिलाफ अफसर कमांडिंग, बी/30 बटा., सी.आर.पी.एफ. के रूप में तैनात होने के दौरान दुर्व्यवहार के कथित

कृत्यों के लिए एक अनुशासनात्मक कार्यवाही बुलाई गई थी। जुलाई 1995 में उन्हें सेवा से हटा दिया गया था।

4. सजा के आदेश के खिलाफ अपील खारिज होने के बाद, प्रत्यर्थी ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत कार्यवाही शुरू की। वर्तमान चर्चा के उद्देश्य के लिए, कार्यवाही के सभी मध्यवर्ती चरणों से निपटना आवश्यक नहीं है।
5. 24 दिसंबर 2019 के एक आदेश द्वारा, दिल्ली उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने निर्देश दिया कि:

“34. उपरोक्त सभी कारणों से दिनांक 16 अक्टूबर, 2018 का पुलिस उपमहानिरीक्षक, सी.आर.पी.एफ., गोपनीय आख्या व सतर्कता विभाग द्वारा महानिदेशालय में पारित आदेश जिसके द्वारा याचिकाकर्ता पर सेवा से हटाने का दंड दिया गया था, अपास्त किया जाता है। डी.ए. द्वारा तय किया गया मामूली दंड जो कि याचिकाकर्ता के मामले में “संचयी प्रभाव के बिना और पेंशन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किए बिना, 3 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए वेतन के पैमाने में एक चरण तक की कमी का दंड होगा”।

35. नतीजतन, याचिकाकर्ता को निर्देश दिया जाता है कि तत्काल सेवा में बहाल किया गया, सभी परिणामी लाभों के साथ, लेकिन बिना किसी पिछले वेतन के। बहाली की तारीख उस तारीख से संबंधित होगी जब उन्हें मूल रूप से सेवा से हटा दिया गया था अर्थात् 10 जुलाई 1995, वेतन निर्धारण, वरिष्ठता और पदोन्नति सहित अन्य सभी परिणामी लाभों के उद्देश्यों के लिए। इस निर्णय के कार्यान्वयन के लिए परिणामी आदेश आज से 8 सप्ताह के बाद जारी किए जाने चाहिए।”

6. प्रत्यर्थी ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष अवमानना की कार्यवाही शुरू की। 8 मार्च 2021 के एक आदेश द्वारा उन्हें सेवा में बहाल कर दिया गया था। प्रत्यर्थी को 22 मार्च 2023 के एक आदेश द्वारा 17 अक्टूबर 2021 से एक काल्पनिक पद पर डिप्टी कमांडेंट के पद पर पदोन्नत किया गया था। वे 31 मार्च 2023 को सेवा से सेवानिवृत्त हुए।
7. अवमानना कार्यवाही की सुनवाई के दौरान, एकल न्यायाधीश ने 2 जून 2023 के एक आदेश में प्रत्यर्थी की इस दलील पर ध्यान दिया कि भले ही मामूली जुर्माना लागू करने की तारीख 16 अक्टूबर 2018 से हो, वह 2021 से 31 मार्च 2021 को अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख तक महानिरीक्षक के पद तक सभी पदोन्नति के हकदार होंगे। यह एकल न्यायाधीश के निर्णय के अनुच्छेद 38 से निकलता है, जो निम्नलिखित शब्दों में है:

“38 याचिकाकर्ता ने अपने दिनांक 02.03.2023 की लिखित प्रस्तुतियों में कहा था कि भले ही मामूली जुर्माने के कार्यान्वयन की तारीख 16.10.2018 से प्रभावी मानी जाती है, वह वर्ष 2021 से अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख तक अर्थात् 31.03.2023 तक महा निरीक्षक के पद तक सभी पदोन्नति के हकदार होंगे। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने दिनांक 03.03.2023 की सुनवाई के दौरान उक्त निवेदन पर भरोसा किया था और प्रस्तुत किया था कि याचिकाकर्ता संतुष्ट होगा यदि उन्हें उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख पर महा निरीक्षक का पद दिया जाता है।

8. उपरोक्त निवेदन दर्ज करने के बाद, एकल न्यायाधीश ने यह अभिनिर्धारित किया कि वेतन निर्धारण, वरिष्ठता और पदोन्नति

सहित अन्य सभी परिणामी लाभों के संबंध में खण्ड पीठ द्वारा जारी किए गए निर्देशों की जानबूझकर अवज्ञा की गई थी। उस संबंध में निष्कर्ष एकल न्यायाधीश के निर्णय के अनुच्छेद 39 में निहित है, जो इस प्रकार है:-

“39 इसलिए, इस न्यायालय की राय है कि दिनांक 24.12.2019 के निर्णय के अनुच्छेद 35 में जारी निर्देशों के कार्यान्वयन के संबंध में खण्ड पीठ द्वारा जारी निर्देशों की प्रत्यर्थी(यों) द्वारा वेतन निर्धारण, वरिष्ठता और पदोन्नति सहित अन्य सभी परिणामी लाभों के संबंध में जानबूझकर अवज्ञा की गई है।”

9. इसके बाद, एकल न्यायाधीश ने 22 मार्च 2023 तक पद पर रहे पुलिस महानिरीक्षक (कार्मिक) और उप महानिरीक्षक (कार्मिक) को 24 दिसंबर 2019 के खण्ड पीठ के निर्णय में निहित निर्देशों की जानबूझकर अवज्ञा करने के लिए न्यायालय की अवमानना का दोषी ठहराया। एकल न्यायाधीश ने अपीलार्थीगण को निम्नलिखित शर्तों में एक अवसर प्रदान किया:-

“41 हालाँकि, यह न्यायालय उपरोक्त अवमाननाकर्ता को नियुक्ति के समय योग्यता सह वरिष्ठता सूची के अनुसार याचिकाकर्ता को अपने तत्काल कनिष्ठ के बराबर लाने के लिए महानिरीक्षक के पद पर पदोन्नति देने के लिए एक नया आदेश जारी करने के लिए छह (6) सप्ताह का अवसर प्रदान करता है।”

10. यह देखा गया कि यदि अवमाननाकर्ता दिए गए समय के भीतर प्रत्यर्थी को महानिरीक्षक के पद पर पदोन्नति देने के लिए उचित आदेश जारी नहीं करते हैं, तो सुनवाई की अगली तारीख पर सजा सुनाने हेतु मामले की सुनवाई होगी।

11. एकल न्यायाधीश के 2 जून 2023 के आदेश के खिलाफ खण्ड पीठ के समक्ष एक लेटर्स पेटेंट अपील दायर की गई थी। खण्ड पीठ ने हालांकि, लेटर्स पेटेंट अपील को इस आधार पर पोषणीय नहीं होने के रूप में खारिज कर दिया कि न्यायालय की अवमानना अधिनियम की धारा 19 के तहत अपील पोषणीय नहीं होगी क्योंकि एकल न्यायाधीश द्वारा कोई सजा नहीं दी गई थी और एकल न्यायाधीश द्वारा की गई टिप्पणियों को प्रत्यर्थी के पक्ष में किसी भी अधिकार को स्पष्ट करने के रूप में नहीं माना जाना था। इस समझ पर, खण्ड पीठ ने निम्नलिखित टिप्पणी की है:

“52 उन्होंने प्रस्तुत किया कि यदि आक्षेपित निर्णय में न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों को प्रत्यर्थी के पक्ष में किसी भी अधिकार को स्पष्ट करने के रूप में नहीं माना जाता है और केवल इस सवाल तक सीमित पड़ा जाता है कि क्या अपीलार्थीगण ने न्यायालय के आदेश की कोई जानबूझकर अवज्ञा की है, तो अपीलार्थी संतुष्ट होंगे।

53 आक्षेपित निर्णय के बारे में हमारी समझ को देखते हुए जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, विद्वान एकल न्यायाधीश ने पक्षकारों के दायित्व और अधिकारों के संबंध में किसी भी विवाद का इसके अलावा कोई निर्णय नहीं किया है कि क्या अपीलार्थीगण ने न्यायालय का अवमानना की थी। विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा की गई सभी टिप्पणियों को केवल यह निर्धारित करने के उद्देश्यों के लिए पढ़ा जाना चाहिए कि क्या अपीलार्थीगण ने जानबूझकर इस न्यायालय द्वारा जारी किए गए निर्णय का उल्लंघन किया था।”

12. वर्तमान चरण में विचार के लिए आने वाला संकीर्ण मुद्दा यह है कि क्या 2 जून 2023 के एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ लेटर्स पेटेंट अपील पोषणीय थी।

13. इस विषय पर कानून का निपटान मिदनापुर पीपुल्स कॉप बैंक लिमिटेड व अन्य बनाम चुनिलाल नंदा व अन्य में इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ के निर्णय से किया जाता है। निर्णय के अनुच्छेद 11 में सिद्धांतों का सारांश इस प्रकार दिया गया है:

“11. अवमानना कार्यवाही में आदेशों के खिलाफ अपील के संबंध में इन निर्णयों से उत्पन्न स्थिति का सारांश इस प्रकार दिया जा सकता है:

I. धारा 19 के तहत एक अपील केवल अवमानना के लिए दंडित करने के लिए अपनी अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए पारित उच्च न्यायालय के आदेश या निर्णय के खिलाफ पोषणीय है अर्थात् अवमानना के लिए सजा देने वाला आदेश।

II. सी.सी. अधिनियम की धारा 19 के तहत न तो अवमानना के लिए कार्यवाही शुरू करने से इनकार करने वाला आदेश, न ही अवमानना के लिए कार्यवाही शुरू करने का आदेश और न ही अवमानना के लिए कार्यवाही को हटाने का आदेश और न ही अवमानकर्ता को बरी करने या दोषमुक्त करने का आदेश अपील योग्य है। विशेष परिस्थितियों में वे संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत चुनौती देने के लिए तैयार हो सकते हैं।

III. अवमानना की कार्यवाही में, उच्च न्यायालय यह तय कर सकता है कि क्या न्यायालय की अवमान की गई है, और यदि ऐसा है, तो सजा क्या होनी चाहिए

और उससे संबंधित मामले क्या होने चाहिए। ऐसी कार्यवाही में, पक्षों के बीच विवाद के गुणागुण से संबंधित किसी भी मुद्दे पर न्यायनिर्णयन या निर्णय लेना उचित नहीं है।

- IV. उच्च न्यायालय द्वारा पक्षकारों के बीच विवाद के गुणागुण पर जारी किया गया कोई भी निर्देश या निर्णय, “अवमानना के लिए दंडित करने के क्षेत्राधिकार” का प्रयोग नहीं किया जाएगा और इसलिए, सीसी अधिनियम की धारा 19 के तहत अपील योग्य नहीं होगा। एकमात्र अपवाद यह है कि जहां ऐसा निर्देश या निर्णय अवमानना के लिए दंडित करने वाले आदेश के साथ आकस्मिक या अटूट रूप से जुड़ा हुआ है, ऐसी स्थिति में अधिनियम की धारा 19 के तहत अपील, आनुषंगिक या अटूट रूप से जुड़े निर्देशों को भी शामिल कर सकती है।
- V. यदि उच्च न्यायालय, किसी भी कारण से, अवमानना की कार्यवाही में पक्षों के बीच विवाद के गुणागुण से संबंधित किसी मुद्दे पर निर्णय लेता है या कोई निर्देश देता है, तो पीड़ित व्यक्ति के पास कोई उपाय नहीं है। इस तरह के आदेश को न्यायालय के भीतर की अपील में चुनौती दी जा सकती है (यदि आदेश एक विद्वान एकल न्यायाधीश का था और एक अंतर-न्यायालय अपील के लिए प्रावधान है), या भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अपील करने के लिए विशेष अनुमति की मांग करके (अन्य मामलों में)।

पहले बिंदु का उत्तर उसी के अनुसार दिया जाता है।”

14. मिदनापुर पीपुल्स कॉप बैंक लिमिटेड में निर्णय के बाद, यह एक तय सिद्धांत है कि धारा 19 के तहत अपील केवल अवमानना के लिए सजा देने वाले आदेश के खिलाफ है।
15. 2 जून 2023 के आदेश में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थी, अर्थात् इन कार्यवाहियों के अपीलार्थी अवमानना के दोषी हैं। एक लेटर्स पेटेंट अपील धारा 19 के तहत पोषणीय नहीं होगी, अगर मामला केवल वहीं रुकना था। तथापि, इस निर्णय के पूर्व भाग में पुनः प्रस्तुत किए गए उद्धरणों से यह स्पष्ट है कि एकल न्यायाधीश ने:
- (i) यहाँ प्रत्यर्थी के निवेदन को दर्ज किया (जैसा कि 2 मार्च 2023 की लिखित प्रस्तुतियों में निर्धारित किया गया है) कि भले ही मामूली दंड का कार्यान्वयन 16 अक्टूबर 2018 से प्रभावी होना था, वह वर्ष 2021 से 31 मार्च 2023 को अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख तक महानिरीक्षक के पद तक सभी पदोन्नति के हकदार होंगे; और
 - (ii) अभिनिर्धारित किया कि 24 दिसंबर 2019 को खण्ड पीठ द्वारा वेतन निर्धारण, वरिष्ठता और पदोन्नति सहित अन्य सभी परिणामी लाभों के संबंध में जारी निर्देशों की जानबूझकर अवज्ञा की गई थी।
16. माननीय एकल न्यायाधीश ने उपरोक्त प्रस्तुतियों को दर्ज करने के बाद, अनुच्छेद 39 में एक विशिष्ट निष्कर्ष दर्ज किया कि “इस न्यायालय इसलिए यह राय है कि जानबूझकर अवज्ञा की गई है” (जोर दिया गया है)। उपरोक्त निष्कर्ष आदेश के पिछले अनुच्छेद के तुरंत बाद आता है जिसमें प्रत्यर्थी के इस तर्क को दर्ज किया गया है कि वह वर्ष 2021 से किसी भी स्थिति में महानिरीक्षक के पद पर पदोन्नति के हकदार थे।

17. उपरोक्त निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए माननीय एकल न्यायाधीश ने अपीलार्थीगण को याचिकाकर्ता को अपने तत्काल कनिष्ठ के बराबर लाने के लिए महानिरीक्षक के पद पर पदोन्नति का एक नया आदेश जारी करने का अवसर दिया। माननीय एकल न्यायाधीश के आदेश की संपूर्णता को पढ़ते हुए, यह स्पष्ट है कि यह अभिनिर्धारित करने के अलावा कि अपीलार्थी (जो हम एकल न्यायाधीश के समक्ष प्रत्यर्थी हैं) न्यायालय की अवमानना के दोषी थे, एक स्पष्ट निष्कर्ष है कि प्रत्यर्थी वर्ष 2021 से किसी भी स्थिति में महानिरीक्षक के रूप में पदोन्नति का हकदार था।
18. खण्ड पीठ ने इस पहलू को नजरअंदाज कर दिया है। खण्ड पीठ ने अनुच्छेद 52 में प्रत्यर्थी की इस दलील पर ध्यान दिया कि एकल न्यायाधीश के निर्णय को प्रत्यर्थी के पक्ष में किसी भी अधिकार को स्पष्ट करने के रूप में नहीं माना जाना चाहिए और यह केवल इस सवाल तक सीमित होना चाहिए कि क्या इसमें अपीलार्थीगण ने 24 दिसंबर 2019 के खण्ड पीठ के आदेश की जानबूझकर अवज्ञा की थी। खण्ड पीठ ने इस निवेदन को स्वीकार कर लिया और यह देखा कि “आक्षेपित निर्णय के बारे में हमारी समझ को देखते हुए, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, विद्वान एकल न्यायाधीश ने अवमानना के मुद्दे पर निर्णय लेने के अलावा पक्षकारगण के अधिकारों और दायित्वों के संबंध में किसी भी विवाद का निर्णय नहीं किया है। खण्ड पीठ के निर्णय ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया कि क्या अपील पोषणीय थी, इसका अर्थ एकल न्यायाधीश के निर्णय के कोरे अध्ययन पर लगाया जाना चाहिए। विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय में दो पहलुओं को शामिल किया गया था:

सबसे पहले, एक निष्कर्ष कि अपीलार्थीगण 24 दिसंबर 2019 के आदेश की अवमानना के दोषी थे; और

दूसरा, कि प्रत्यर्थी महानिरीक्षक के पद पर पदोन्नति के हकदार थे।

पहला पहलू वर्तमान स्तर पर धारा 19 के तहत अपील के लिए उत्तरदायी नहीं है। यह निष्कर्ष कि प्रत्यर्थी महानिरीक्षक के पद पर पदोन्नति का हकदार होना मिदनापुर पीपुल्स कॉप बैंक लिमिटेड (ऊपर) में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के संदर्भ में अपील के लिए उत्तरदायी होगा, विशेष रूप से अनुच्छेद 11(फ) में, जिसे ऊपर निकाला गया है।

19. उपरोक्त कारणों से, हमने 10 मई 2024 के खण्ड पीठ के आक्षेपित निर्णय और आदेश को अपास्त किया गया और अवमानना मामले सं. 198/2020 में लेटर्स पेटेंट अपील सं. 157/2024 को संबंधित अंतर्वर्ती आवेदनों के साथ खण्ड पीठ की फाइल में उपरोक्त निर्देशों के संदर्भ में गुणागुण पर विचार करने के लिए बहाल कर दिया।
20. प्रत्यर्थी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री संजय घोष का कहना है कि दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध करने की अगली तारीख तक अपीलार्थीगण के खिलाफ कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाए जाएंगे।
21. लेटर्स पेटेंट अपील के गुणागुण पर पक्षों की सभी दलीलें खुली रखी जाती हैं।
22. दिल्ली उच्च न्यायालय कार्य की आवश्यकताओं के अनुरूप, शीघ्र निपटान के लिए लेटर्स पेटेंट अपील पर विचार कर सकता है।
23. तदनुसार उपरोक्त शर्तों में अपीलों की अनुमति दी जाती है।

24. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, तो उनका निपटान किया जाता है।

मामले का परिणाम: अपीलों की अनुमति दी गई।

शीर्ष टिप्पण निर्माता: स्वाति एच. प्रसाद, मान. सहायक संपादक
(सत्यापित: कनू अग्रवाल, अधिवक्ता)

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Disclaimer: The translated judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose for all practical and official purposes, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.